

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी- रामरतन साँकरिया

मिसल नम्बर तारीख दायरा तारीख निर्णय
98/2024 प्रा.पत्र/2024 25.11.2024 25.02.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन निवासी कल्याण कॉलोनी डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज किराणा स्टोर धौली दरवाजा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड-304504 मोबाईल नं. 9252721959।

2-मैसर्स पंकज किराणा स्टोर धौली दरवाजा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक। राज0 पिनकोड-304504।

3-श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण अग्रवाल निवासी डी-160 मांडवी मार्ग हनुमान नगर वैशाली नगर जयपुर राज0 नॉमिनी मैसर्स अवनी ट्रेडिंग कम्पनी बी-9 परमहंस हाउस दीनानाथ जी की गली छोटी चौपड जयपुर राज0। पिनकोड-302001

4. मैसर्स नॉमिनी मैसर्स अवनी ट्रेडिंग कम्पनी बी-9 परमहंस हाउस दीनानाथ जी की गली छोटी चौपड जयपुर राज0। पिनकोड-302001।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थीगण की ओर से श्री ताराचन्द जैन उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 25/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.08.2024 को समय 03:20 पी.एम. पर मैसर्स पंकज किराणा स्टोर धौली दरवाजा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पंकज किराणा स्टोर धौली दरवाजा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसमूदे तथा अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी नॉमिनी मैसर्स अवनी ट्रेडिंग कम्पनी बी-9 परमहंस हाउस दीनानाथ जी की गली छोटी चौपड जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1078 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/3251/एक्ट/2024/3080 दिनांक 20.08.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया काजू नट्स(आस्था ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री ताराचन्द जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से निर्मित किया जाकर विक्रय किया जा रहा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस काजू नट्स (आस्था ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया काजू नट्स(आस्था ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा




प्रतिवेक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय दिनांक 25/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्यायतिरिक्त प्रजिवा मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त टोंक मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0